न्यायालयअतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 260/2023

बुधाराम पुत्र जोधाराम
बनाम
रोशनीदेवी पत्नी जगराम वगैरा

दिनांक 4.06.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 75/2023 बअनवान रोशनीदेवी बनाम इमामखान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया–रोशनीदेवी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील सेड़वा के ग्राम विष्णुनगर स्थित अपने खातेदारी खसरा नम्बर 953/814 रकबा 5.6656 हैक्टर भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार सेडवा को दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश कर, नेखमबंदी करने एवं विवाद की स्थिति में नेखमबंदी नही करने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 7 ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री सिद्धार्थ परिहार, रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता श्री रोशनलाल एवं रेस्पो0सं0 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बहुत जल्दबाजी से कार्यवाही की गई। जिसमें अपीलार्थी के नाम गलत पत्ते का नोटिस भिजवा दिया गया तथा बिना पैमाईश रिपोर्ट एवं बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी मनमाने कियान्वयन के आदेश की आड़ में अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने को आमदा है, जबकि अपीलार्थी का कब्जा जमाबंदी में दर्ज रकबे पर है। हस्तगत अपील में मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य व्यक्तियों से कोई अनुतोष वांछित नही होने से उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थी के सम्मन हाल पत्ते पर जारी किए गये, जिनके घर पर नही मिलने पर सवार रिपोर्ट में वाट्सएप करने का उल्लेख है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश कर, नेखमबंदी करने एवं विवाद की स्थिति में नेखमबंदी नही करने के निर्देश है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अभाव में पारित किया गया है, जबकि यह आज्ञापक है। इसके अलावा अपीलांट का यह कथन साबित है कि उसे सम्मन तामिल नही होने से जवाब/सुनवाई का अवसर नही मिला। चूंकि अपीलांट हस्तगत अपील के माध्यम से आलौच्य प्रकरण में सुनवाई चाहता है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी सेड़वा (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 75/2023 बअनवान रोशनीदेवी बनाम इमामखान वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.05.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु यथासंभव 03 माह में विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 4.6.26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

4/6/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर